

19.02.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय सभ्य में
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम
से अलग-अलग सभ्य पर तीन वार
आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने
वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी
व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर
पर 'र्यारिज' किया जाता है।

पत्रावली फेंकल शुमार होकर दारिखल
दक्तर हो व नंबर से कम हो।

19/02/25
सहायक कलक्टर
(BDO), जाड़मेर

